3. सोनाराम पुत्र नत्थू राम
4. लेखराम पुत्र माही राम
5. लूना राम पुत्र अमरा राम
6. राम स्वरूप पुत्र अमरा राम

तहसील श्री करणपुर

..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत 2 एक्स तहसील श्री करणपुर
2. राम चन्द्र बावरी पुत्र डूंगर राम बावरी नि0 4 एक्स .....गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश 09.08.2008 ग्राम पंचायत 2 एक्स आहाता संख्या 70–.71 गांव 4 एक्स, कब्जे के आधार पर गैर निगरानी कर्ता को जारी पट्टा निरस्त करवाने हेतु।

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री जीतपालसिंह सैनी एडवोकेट जरिये रैस्पोडेंट

निर्णय दिनांक 28/2/18

सार में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से हैं कि निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत 09.08.2008 पेश की गई कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा 4 एक्स के अहाता संख्या 70–71 साईज 50 गुणा 28 व 88 गुणा 50 फुट का पट्टा गैर निगरानी कर्ता संख्या 2 को कब्जा का नियमन कर अलाट कर दिया। इस पर गैर निगरानी कर्ता का कभी कब्जा नही रहा। आहाता संख्या 70 पर गुग्गा पीर का स्थान 1930 के आस पास का बना हुआ है। जिसकी देख–भाल बावरी समाज के लोग कर रहे हैं व सभी की आस्था का केन्द्र है। उक्त पट्टा विधि विरूद्ध जारी किया गया है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के अनुसार 300 वर्ग गज क्षेत्रफल तक पंचायत को नियमन के अधिकार हैं लेकिन ग्राम पंचायत ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पट्टा जारी किया गया है। जो निरस्त किया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया। गैरनिगरानीकर्ता को तलब किया गया। जिसकी ओर से श्री सत्यपाल सिंह एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। सुयोग्य अधिवक्ता का बहस में कथन है कि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी में वर्णित आहाताजात का पट्टा जारी किया गया है जिस पर गैर निगरानी कर्तागण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। उक्त आहाता पर गुग्गा पीर का स्थान बना हुआ है जो वर्ष 1930 से है। जारी पट्टा नियम विरूद्ध है जो खारिज फरमाया जावे। पुराने गृहों का नियमन हो सकता है न कि भूखण्ड का । दीर्घ कब्जा साबित होना चाहिये लेकिन इस संबंध कोई जांच नहीं की गई। उक्त कथनों के संबंध में 2012(2) मनोहरसिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान पेज 1265 व आर जे टी 2015(3) राजू चीता बनाम जिला कलक्टर भीलवाड़ा पेज 1575 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया।

सुयोग्य अधिवक्ता गैर निगरानी कर्ता

समायत बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम सेवक व पदेन सचिव ग्राम पंचायत 2 एक्स द्वारा रिपोर्ट की गई कि रिकार्ड तलाश करने पर उपलब्ध होना नहीं पाया गया, आबादी भूमि का नक्शा पेश किया गया।

राजस्थान पंचायती राज नियम,1996 के नियम 157 के अनुसार पुराने गृहों का विनियमितीकरण –जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों वहां विहित राशि जमा करवायें जिन्हें इसके पश्चात पट्टा जारी किया जा सकेगा। आहाता संख्या 70 साईज 50 गुणा 28 व आहाता संख्या 71 साईज 88 गुणा 50 फुट का पटटा दिनांक 09.08.2008 को जारी किया गया है।

नजीर ए. आई. आर. 2009 चन्द्र प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य में विनिश्चिय किया गया है कि कोई व्यक्ति अतिक्रमी है तो उसे आवंटन नहीं किया जा सकता।

AS/2

नजीर आर.आर.टी. 2012 पेज 165 में हैल्ड किया गया है कि नियम 157 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि पर पुराना कब्जा होने के आधार पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता नियम 157 पुराने गृहों के विनियमन हेतु है न कि भूखण्डों के।

नजीर राजस्थान जुडिशियल टाईम्स 2015 पेज 1575 मे अभिनिर्धारित किया गया है कि भूमि पर कब्जा के संबंध में ग्राम पंचायत ने सन्तुष्टि दर्ज नहीं की। दीर्घ कब्जा के बारे में साक्ष्य नहीं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पट्टा निरस्त किया गया।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अनुसार अधिकतम 300 वर्ग गज क्षेत्र फल के पुराने गृहों का विनियमितिकरण किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में 55 गुणा 28 तादादी 1540 वर्ग फुट व 88 गुणा 50 वर्ग फुट तादादी 4000 वर्ग फुट कुल 5940 वर्ग फुट का विनियमितिकरण किया गया है जबकि 5940 वर्ग फुट अर्थात 771. 11 वर्ग गज का विनियमितिकरण किया गया। इसके अतिरिक्त कब्जा के संबंध में व गृह बने होने संबंधी कोई जांच नहीं की गई। निगरानीकर्तागण का कथन है कि उक्त भूमि पर गुग्गा पीर का स्थान 1930 से है इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई। भूमि पर अतिक्रमण है अथवा नहीं इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी अथवा समिति द्वारा कोई जांच नहीं की गई। पट्टा में गवाहों के हस्ताक्षर नहीं हैं। पट्टा में पंचायत के संकल्प संख्या 4 का हवाला है लेकिन सचिव ग्राम पंचायत की रिपोर्ट है कि रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि आहाता संख्या 70 का पट्टा दिनांक 5.12.07 को जारी किया गया था जो खारिज किया गया है।

उक्त समग्र विवेचन के पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत 2 एक्स द्वारा जारी पट्टा दिनांक 09.08.2008 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ रिकार्ड लौटाया जावे व निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
R.A.S.